न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15/2018

श्री सद्दाम हुसेन मंसूरी निवासी वार्ड नं0 4 बीसलपुर कॉलोनी के पीछे टोडारायसिंह जिला टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 16.04.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1–मुकदमा संख्या 246/2014 का जो तकास्मा आदेश हुआ उसकी सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि लोकहित मे देने की कृपा करे।(जहूरूद्दीन बनाम शाहबुद्दीन) ग्राम पंचायत तिलाजू तहसील मालपुरा

2–खसरा संख्या 314,320,1434 का जो तकास्मा लोक अदालत तिलाजू मे हुआ उसकी तकास्मा मे जो नम्बर मे रंग भरे उस ट्रेस नक्शा की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि लोकहित मे देने की कृपा करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पंत्राक 430 दिनाक 06.03.2018,480 दिनाक 15.03.2018,543 दिनांक 28.03.2018,व 574 दिनाक 09.04.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है।जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक